राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निरीक्षण, रात्रि चौपाल कार्यक्रम

झालावाड़ 30 जून/ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा द्वारा माह जुलाई में भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण व रात्रि चौपाल कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी 3 जुलाई को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत पिपलोद में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 7 को पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत देवनगर में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 10 को पंचायत समिति मनोहरथाना की ग्राम पंचायत मनोहरथाना में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 14 को पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत क्यासरा में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 17 को पंचायत समिति भवानीमण्डी की ग्राम पंचायत पगारिया में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 21 को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत गोपालपुरा में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 24 को पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत कनवाड़ी में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 28 को पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत करनवास में निरीक्षण एवं जनसुनवाई करेंगे।

राजस्व लोक अदालतों में हुआ 1779 मामलों का निस्तारण

झालावाड़ 30 जून/ राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार '' अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 1779 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजस्व लोक अदालत अभियान में ग्रामीणों को राहत देने में जहां पूरा प्रशासन गम्भीरता एवं संवदेनशीलता के साथ जुटा हुआ है वहीं जन प्रतिनिधी भी शिविरों में मौजूद रहकर ग्रामीणों के राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई कर समस्या का समाधान कर रहे हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कला, औसाव, बांसखेड़ा, बाघेर, गुराडिया जोगा, सरड़ा में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 29 जून को नामान्तकरण के 464 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा खाता दुरस्ती के 751, खाता विभाजन के 84, राजस्व नकल के 331, इजराय के 4, गैर खातेदारी से खातेदारी का 1 प्रकरणों सहित स्थायी निषेधाज्ञा, धारा 251, टी.आई (स्थगन), धारा 86, 183(ए), आर.टी.एक्ट सहित अन्य 144 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया गया।

इस माह यहां आयोजित होगी लोक अदालतें

झालावाड़ 30 जून/ राज्य सरकार द्वारा जिले में लम्बित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु 18 मई से प्रारम्भ हुए राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के अर्न्तगत 15 जुलाई तक शिविरों का निम्नानुसार आयोजन किया जायेगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई को ग्राम गुराड़खेड़ा, नौलाई, कोलूखेड़ी कलां, गाडरवाड़ा डूण्डी, मिश्रोली, कोहडीझर, खेडला में राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा 2 जुलाई को झिकड़िया, आंवलहेडा, क्यासरा, बिशनखेड़ी, 3 को नानोर, सामरिया, मालनवासा, श्रीछत्रापुरा, सरखण्डिया, देवलीचचल, 6 को मोडी, दुबलिया, जरगा, पिपलिया, चुरेलिया, लसुडिया शाह, 7 को रटलाई, बानोर, दुधालिया, सारोला कलां, 8 को आगरिया, माथनिया, बनेठ, सोजपुर, भिलवाड़ी, देवरीकलां, नयापुरा, 9 को किशनपुरा, हरनावदा, पिपलाज, 10 को रीझोन, सांगरिया, गोविन्दपुरा, मनोहरथाना, गणेशपुरा, ल्हास, तुरकाडिया, असनावर, 12 को रायपुर, 13 को पाटलिया कुल्मी, रमाय दलपत, सेमली हाट, रवासिया, लायफल, सूलिया, बोरबन्द, 14 को खेरिया, डोडी, लीमी एवं 15 जुलाई को कुशलपुरा, सालरी, पाडलिया, आवर, गोपालपुर में राजस्व लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में परिवर्तन

झालावाड़ 30 जून/ निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक रमा गौतम ने बताया कि 1 जुलाई से जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के खोलने का समय प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे तक का रहेगा।